5

संoसo 3/विविध–01–64/2026

725(3)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में

अधीक्षक,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा/नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
शेखपुरा/सिवान/बेगूसराय/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/ नालंदा/ सीतामढ़ी/ भोजपुर/ सहरसा/मधुबनी/मुजफ्फरपुर/खगड़िया/कटिहार/गयाजी/कैमूर/भागलपुर/नवादा/ पूर्णियाँ/शिवहर/मधेपुरा/पटना/समस्तीपुर एवं अररिया ।

पटना, दिनाक 13/8/26

विषयः अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वांछित कागजात/अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा नीट पी0 जी0 हेतु अनापत्ति दिए जाने हेतु आवेदन उपलब्ध कराया गया है परन्तु आवेदन के साथ स्तम्भ–3 में अकित अभिलेख/कागजात संलग्न नही है.–

क0 सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	अभिलेख/कागजात
1	2	3
1	डा0 अमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, गगरी, शेखपुरा	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
2	डा0 पल्लवी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सिवान	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
3	डा0 माधवी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, डंडारी, बेगूसराय	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं । 5 नवीनतम विहित जॉच पत्र संलग्न नहीं।
4	डा0 पकज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, पकडीदयाल, पूर्वी चम्पारण	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
5	डा0 अभिषेक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।

6	डा0 सतोष कुमार सुमन, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, कटारी, शेखपुरा	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
7	डा0 सुजाता कुमारी, दत चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालदा	1 विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2 पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
8	डा0 महिमा मोहन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बथनाहा, सीतामढी	1. विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
9	डा0 अश्विनी कुमार सिह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़हरा, भोजपुर	1 आवेदन नियत्री पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध नही। 2 विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
10	डा0 हरिशेखर भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, चलन्त औषधालय, सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05 06 2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं । 5 नवीनतम विहित जॉच पत्र सलग्न नही।
11	डा0 अजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालदा	1 विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2 पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
12	डा0 रजत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, लोहान, चेवारा, शेखपुरा	1. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2 विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
13	डा0 ब्रज किशोर गौतप, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, एकाढा, चेवारा, शेखपुरा	1 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2 विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
14	डा0 रंजन कुमार पाण्डेय, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, गडहनी, भोजपुर	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
15	डा0 राम विलास यादव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनगर, मधुबनी	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
16	डा0 श्रवण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, पानापुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही । 725(3) 13/8/26

17	डा0 विनय कुमार विमल, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, नयागॉव, परबत्ता, खगडिया	1. तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2 विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
18	डा0 करमचन्द उरॉव, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बारसोई, कटिहार	1 विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
19	डा0 ऋषी राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, महकार सेवइचक, डोभी, गयाजी	विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र ।
20	डा0 बालमुकुन्द कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एस0एम0 विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा	1. तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2. पूर्व में उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
21	डा0 प्रदीप कुमार राम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, जीरादेई, सिवान	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05 06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं । 5 नवीनतम विहित जॉच पत्र संलग्न नहीं।
22	डा0 हरेन्द्र कुमार रवि, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, बखरी नाजीर, मेहसी, पूर्वी चम्पारण	1 तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2. विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व में उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
23	डा0 अभिजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय	1. तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2 विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
24	डा0 आनंद कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, अधौरा, कैमूर	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व में उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं । 5. नवीनतम विहित जॉच पत्र संलग्न नहीं।
25	डा0 कुमार राकेश रौशन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बलिया, बेगूसराय	1. तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र। 2. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं । 4
26	डा0 अंजनी कुमार झा, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, गनगनियॉ, सुलतानगंज, भागलपुर	1 विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05 06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
27	डा0 मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, हनुमाननगर, पहाड़पुर, बलिया, बेगूसराय	1. तीन वर्ष के नियमित / लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2. विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन / प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।

725(3)
13/8/26

28	डा0 रोहित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, नगरनौसा, नालंदा	1 विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
29	डा0 मुकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, बेलसड, सीतामढी	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
30	डा0 राहुल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी	1. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 2 विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
31	डा0 अमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, नवादा	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं । 5. नवीनतम विहित जाँच पत्र संलग्न नहीं।
32	डा0 विक्रम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, नवादा	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कंडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही । 5. नवीनतम विहित जॉच पत्र सलग्न नही।
33	डा0 रविन्द्र, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अररियरी, शेखपुरा	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
34	डा0 सुशांत, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, वगडर, अमौर, प्रतिनियुक्त–राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. विभागीय संकल्प 508(3) दिनाक 05.06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 3. पूर्व में उच्चतर अध्यथन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
35	डा0 अमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, बेला, परिहार, सीतामढी	1. विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2. पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नहीं ।
36	डा0 ब्रज नन्दन प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौकही, मधुबनी	1 सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
37	डा0 कुमारी सुषमा, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, धनकौल, पिपराही, शिवहर 725(3) 18/8/26	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहो । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय सकल्प 508(3) दिनाक 05 06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक में प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व में उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।

NC

38	डा0 जितेन्द्र कुमार जितेश, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, बेलो, मुरलीगंज, मधेपुरा	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही । 5. नवीनतम विहित जॉच पत्र सलग्न नही।
39	डा0 रौनक जमील अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, करजान, अथमलगोला, पटना	1 विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 2 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
40	डा0 रवि रजन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुख्य भडार, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नही । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05 06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
41	डा0 मनीष कुमार, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, बिथान, समस्तीपुर	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2. तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3 विभागीय सकल्प 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4. पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।
42	डा0 जीपो लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, जोकीहाट, अररिया	1. सेवा सम्पुष्ट है अथवा नहीं । 2 तीन वर्ष के नियमित/लगातार कार्य करने का अद्यतन प्रमाण पत्र । 3. विभागीय संकल्प 508(3) दिनांक 05.06 2026 के कडिका 05 (क)(v) के आलोक मे प्रथम कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र । 4 पूर्व मे उच्चतर अध्ययन/प्रशिक्षण किया गया है अथवा नही ।

02. अतः अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा पदाधिकारी से पूर्ण सूचना सहित स्तम्भ–3 मे अंकित अभिलेख/कागजात प्राप्त कर अनुशसा सहित आवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कार्रवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन
Mkm.K 12/8/26
(विनोद कुमार पाठक)

अनुलग्नक. यथोक्त ।

ज्ञापांक 725(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 13/8/26

प्रतिलिपि: संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात अपने नियत्री पदाधिकारी से सम्पर्क साधते हुए अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

MkmK 12/8/26
सरकार के उप सचिव

D \Old System Data\New folder\2026\NOC Admision-02012026 docx-07-08-2026-10082026-11082026

सं0सं0—3 / विविध—01—19 / 2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सको को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन (यथा.—सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/डी0एन0बी0—स्पोन्सर्ड सीट इत्यादि, जिसमें विभागीय अनापत्ति/अनुमति की आवश्यकता हो) हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है ।

02. प्रायः यह देखा जाता है कि चिकित्सको की नियुक्ति—सह—पदस्थापन के उपरान्त उच्च शिक्षा एवं अन्य प्रयोजन हेतु अवकाश/अध्ययन मे जाने के फलस्वरूप पदस्थापित संस्थान मे कार्यरत बल में अत्यंत कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एव चिकित्सीय कार्य प्रभावित होता है। पुनः चिकित्सको का अध्ययन अवकाश मे जाने के कारण उक्त पद को उनके लिए अध्ययन अवधि तक सुरक्षित रखना पडता है, जिसके कारण संस्थान में रिक्त हुए पद के विरुद्ध नई नियुक्ति नही की जा सकती है, जिससे नई नियुक्ति भी प्रभावित होती है ।

03. साथ हीं यह भी संज्ञान में आ रहा है कि चिकित्सक लंबी अवधि तक अवकाश/अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं तथा उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु चयनोपरान्त इनके द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान कर उच्चतर अध्ययन हेतु विरमित हो जा रहे हैं ।

04. इसके अतिरिक्त, चिकित्सकों के द्वारा दूसरे राज्य में उच्चतर विषय में अध्ययनोपरान्त उस राज्य के बॉण्ड के निर्धारित अवधि के अनुसार बॉण्ड पूरा करने हेतु भी अनापत्ति का अनुरोध किया जा रहा है ।

05. उपरोक्त वर्णित स्थिति में चिकित्सकों को अनापत्ति प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट दिशानिर्देश की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य के निवासियों को चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सको की नियुक्ति किये जाने के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एव विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनापत्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिया जाता है.—

(क) <u>उच्चतर अध्ययन के लिए</u>:— बिहार राज्य के बाहर किसी चिकित्सा महाविद्यालय एव राज्य के अन्तर्गत निजी संस्थानों मे उच्चतर अध्ययन के लिए चिकित्सकों को निम्नवत शर्तो को पूरा करने के उपरान्त अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(i) सेवा सम्पुष्ट हो ।

(ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की गई हो ।

(iii) चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात कम से कम पॉच वर्षो तक पुनः राज्य के बाहर एवं निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए अनापत्ति नहीं दिया जाएगा।

508(3)
5/6/26

कृ0प0उ0 ....

(iv) चिकित्सको को उच्चतर अध्ययन के लिए निर्धारित आवेदन करने के समय सीमा के एक माह पूर्व विभागीय अनुमति हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। तत्पश्चात ही नामाकन/काउसलिंग अथवा चयनित संस्थान में योगदान करने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(v) पी0जी0/डी0एन0बी0 (स्पेशियलिटी) तथा डी0एम0/एम0सी0एच0/डी0एन0बी0 (सुपरस्पेशियलिटी) हेतु अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान होगी कि जिस संस्थान मे उनके द्वारा नामांकन (राज्य के बाहर) लिया जाएगा, वहाँ अध्ययनोपरान्त बॉण्ड की व्यवस्था न हो अथवा अन्य राज्यों मे उच्चतर अध्ययन पी0जी0/डी0एन0बी0 (स्पेशियलिटी) तथा डी0एम0/एम0सी0एच0/डी0एन0बी0 (सुपरस्पेशियलिटी) अध्ययन हेतु अनापत्ति तभी प्रदान की जाएगी, जब संबंधित चिकित्सक इस आशय का प्रथम कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र उपलब्ध कराएगें कि बॉण्ड से आच्छादित संस्थान में उनके द्वारा नामांकन नहीं लिया जाएगा अथवा उनके द्वारा अध्ययनोपरान्त अनिवार्य रूप से बंधपत्र विच्छेदन किया जाएगा एवं अनुमानित राशि का भुगतान उक्त राज्य/संस्थान को करते हुए बिहार सरकार मे सेवा देंगे। बॉण्ड की राशि का भुगतान करने की जिम्मेवारी/जबावदेही अध्ययनरत करनेवाले चिकित्सको की होगी। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि बिहार राज्य अन्तर्गत **"विभागीय संकल्प सं0–450(1) दिनांक–15.04.2017 एवं संशोधित संकल्प सं0–1092(17) दिनांक–04.10.2025 के अन्तर्गत पी0जी0 बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक जो बॉण्ड के अन्तर्गत राज्य सरकार में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, उनकी सेवा बॉण्ड अवधि के अन्तर्गत पूर्ण मानी जायेगी।"**

(vi) चिकित्सकों के द्वारा सेवा में आने के पूर्व या पश्चात् किसी भी विषय में पी0जी0 की डिग्री धारित करने पर पुनः अन्य पी0जी0 पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

उसी प्रकार सेवा मे आने के पूर्व या पश्चात् सुपरस्पेशियलिटी की डिग्री होने पर पुनः अन्य किसी सुपरस्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति नहीं दी जाएगी।

(vii) चिकित्सक जिस विषय में पी0जी0 उत्तीर्ण है, भविष्य में उन्हें उसी विषय में नियमानुसार उच्चतर अध्ययन एवं सीनियर रेजीडेंट हेतु अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(viii) बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के उप सम्वर्ग (विशेषज्ञ चिकित्सक) जिस विशेषज्ञता मे पद धारण करते हैं, नियमानुसार उन्हे उसी विषय हेतु डी0एम0/एम0सी0एच0/डी0एन0बी0 (सुपरस्पेशियलिटी) हेतु अनापत्ति प्रदान किया जाएगा ।

(ix) संगत वर्ष में उच्चतर अध्ययन के लिए सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सम्वर्ग के कुल स्वीकृत बल का 03% (तीन प्रतिशत) चिकित्सकों को अनापत्ति प्रदान की जाएगी, जो चिकित्सकों को वरीयता तथा आवेदन समर्पित करने की तिथि के आधार पर देय होगा।

508(3)
5/6/26

कृ0प0उ0 ....

(x) चिकित्सक को अनापति प्रदान करने के उपरांत यदि पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण को बीच मे बिना पूर्ण किए छोडकर विभाग मे योगदान करते हैं तो उन्हे पुन: अनापति प्रदान नही की जाएगी।

(xi) वैसे चिकित्सक जिनका सेवाकाल तीन वर्ष या उससे कम हो उन्हे उच्चतर अध्ययन हेतु अनापति प्रदान नही की जाएगी।

(ख) **<u>पी0जी0 स्पॉन्सर्ड डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0 एवं पोस्ट डिप्लोमा) सीट हेतु</u>**:– स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0 643(1) दिनाक 04.09.2023 से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (आयुर्विज्ञान), नई दिल्ली द्वारा आयोजित पी0जी0 स्पॉन्सर्ड डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0 एवं पोस्ट डिप्लोमा) सीट हेतु राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सकों को निम्नवत अनापत्ति प्रदान की जाएगी ।

सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सम्वर्ग के वैसे चिकित्सको को संकल्प के कंडिका–02 में अकित शर्तो के साथ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में नामाकन हेतु सवैतनिक अनापत्ति प्रदान की जाएगी, परन्तु राज्य के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालयों मे नामांकन हेतु निम्न शर्तो को पुरा करने के उपरान्त अनापति प्रदान की जाएगी :–

(i) सेवा सम्पुष्ट हो ।

(ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियत्री पदाधिकारी के द्वारा की गई हो ।

(iii) पी0जी0 स्पॉन्सर्ड डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0 एव पोस्ट डिप्लोमा) सीट के तहत चिकित्सक को बिहार राज्य के बाहर के चिकित्सा संस्थानों में नामांकन हेतु अवैतनिक अनापति प्रदान की जाएगी, जो सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत बल का 02% (दो प्रतिशत) वरीयता एव आवेदन समर्पित करने की तिथि के आधार पर देय होगी। यह संगत वर्ष उच्चतर अध्ययन के लिए कंडिका–क (ix) में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त होगा।

(ग) **<u>सीनियर रेजिडेंट/टयूटर हेतु</u>**:–चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट/टयूटर (राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय को छोडकर) हेतु अनुमति निम्नवत शर्तों के पूरा करने के उपरान्त दी जाएगी ।

(i) सेवा सम्पुष्ट हो ।

(ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की गई हो ।

(iii) चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात कम से कम पॉच वर्षों तक बिहार राज्य के बाहर पुनः सीनियर रेजिडेंट/टयूटर के लिए अनापत्ति नही दिया जाएगा।

508(3)
5/6/26

कृ0प0उ0 ....

(iv) बिहार सरकार द्वारा वित पोषित/भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान यथा एम्स, आई0जी0आई0एम0एस0, पी0जी0आई0 एवं अन्य विशिष्ट महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में टेन्योर अवधि के लिए अति आवश्यक समझे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इन्हे सम्पूर्ण सेवाकाल मे मात्र एक बार शर्त्तो को शिथिल कर प्रदान की जा सकेगी (परन्तु इस मामले मे विभाग का निर्णय अंतिम होगा तथा इस सबध मे अभ्यर्थी द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकेगा)।

(v) चिकित्सको को निजी संस्थान में सीनियर रेजिडेंट करने हेतु अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी ।

(vi) सीनियर रेजिडेट हेतु सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सम्वर्ग के कुल स्वीकृत बल का 01% (एक प्रतिशत) चिकित्सको को अनापत्ति प्रदान की जाएगी, जो चिकित्सकों को वरीयता के आधार पर एवं आवेदन समर्पित करने की तिथि के आधार पर देय होगा।

(घ) **<u>अन्य सेवा में जाने हेतु</u>**:–चिकित्सकों को राज्य एवं राज्य के बाहर के अन्य संस्थानों में मात्र अपने धारित पद से उच्च पद एव उच्चतर वेतनमान के पदों के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

(ङ) लंबी अवधि तक अवकाश/अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को राज्य के अन्दर तथा बाहर के चिकित्सा संस्थानो में उच्च शिक्षा अध्ययन/ सीनियर रेजिडेट एवं अन्य अनुमान्य प्रयोजन हेतु अनापत्ति पुनः पदस्थापित स्थल पर योगदान करने के एक वर्ष के नियमित सेवा के उपरान्त ही देय होगा।

06. चिकित्सकों के अनापत्ति प्रदान किए जाने से संबंधित पूर्व से निर्गत परिपत्र/आदेश/संकल्प/अधिसूचना इस हद तक अवक्रमित समझा जाएगा।

07. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **03.06.2026** के मद संख्या–**11** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(कुमार रवि)
सचिव

ज्ञापांक: 3/विविध–01–19/2026 508(3) **/स्वा0, पटना, दिनांक:** 5/6 **/2026**

प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **03.06.2026** के मद संख्या–**11** के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के अगामी असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कृ0प0उ0 ....

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/विशेष सचिव, गृह (कारा एव पुलिस), विभाग, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी अपर निदेशक/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमडलीय अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों के सभी नियंत्री पदाधिकारी/बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के सभी चिकित्सकों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय मे पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: विभागीय डाटा ऐनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि. आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

508(3)
5/6/26

5/6/26
सचिव

D \Old System Data\New folder\2026\Sankalp 2026\Sankalp & Letter-2026 docx-29052026 04062026-05062026